उप विकास आयुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(जिला विकास शाखा)

-: निविदा आमंत्रण सूचना :-

विधायक योजनान्तर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों/संस्थानों/पुस्तकालय में छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु माननीय विधायक श्री सुखराम उराँव, चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र द्वारा अनुशंसित बहुउपयोगी पुस्तकों के क्रय/आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित पुस्तक प्रकाशकों/आपूर्तिकर्त्ताओं/पुस्तक विक्रेताओं से दिनांक–30.04.2021 को 11:30 बजे पूर्वाह्न तक मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता द्वारा संबंधित पुस्तकों की सूची किसी भी कार्य दिवस को (कार्यालय अवधि में) उप विकास आयुक्त का कार्यालय "जिला विकास शाखा" पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा से प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदायें स्वीकृत नही की जाएगी। निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त मुहरबन्द निविदाऐं दिनांक–30.04.2021 को 03:00 बजे अपराह्न गठित क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

☞ **निविदा के शर्त्त निम्नवत् है :–**

- ❖ सभी निविदायें द्विलिफाफा प्रणाली (Double Envelop System) के अनुसार डाली जाएगी।
- ❖ निविदादाता एक लिफाफे पर साफ–साफ "**तकनीकी बीड**" लिखकर उसमें मांगे गये सारे कागजात और प्रमाण–पत्र (जमानत राशि का डाफ्ट) डालेंगे एवं उसे मुहरबंद करेंगे तथा उस पर अपना नाम एवं पता साफ–साफ अंकित करेंगे।
- ❖ दूसरे लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में "**वित्तीय बीड**" अंकित करेंगे उस लिफाफे में पुस्तकों का दर वित्तीय निविदा के शर्तें के क्रमांक 01 के अनुसार अंकित करेंगे और उसे लिफाफे में डालकर मुहरबन्द करेंगे। उस लिफाफे में दर के अलावे कोई अन्य कागजात नही डाला जाएगा। उस लिफाफा पर भी नाम एवं पता साफ–साफ अंकित करेंगे।
- ❖ तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड दोनों मुहरबन्द लिफाफे को तीसरे लिफाफे में डालकर उस लिफाफे को बन्द करेंगे और उस पर साफ–साफ "**पुस्तक हेतु निविदा** " लिफाफे पर अपना नाम एवं दूरभाष संख्या अंकित करेंगे तथा **उप विकास आयुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा** के नाम से मुहरबन्द लिफाफा निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से अथवा व्यक्तिगत रूप से **उप विकास आयुक्त का कार्यालय जिला विकास शाखा, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा** में उपस्थित होकर भेजेंगे/जमा करेंगे।
- ❖ पहले तकनीकी बीड खोली जाएगी और निविदादाताओं का उपस्थिति में ही उनका तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। तीन तकनीकी बीड सही पाए जाने पर ही जिन निविदादाओं को तकनीकी रूप से योग्य पाया जाएगा उन्ही का वित्तीय बीड खोला जाएगा।

<u>तकनीकी निविदा की शर्त्तें :–</u>

निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रखे जायेंगे :–

1. तकनीकी निविदा में जमानत की राशि हेतु 50000.00 (पचास हजार) रुपये मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट, जो उप विकास आयुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के नाम से तथा चाईबासा में भुगतेय होगा।
2. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन शपथ–पत्र देना होगा।
3. पैन नम्बर तथा तीन वर्षों का I.T.R (Income Tax Return) की छायाप्रति देना होगा।

4. GST निबंधन संख्या की छायाप्रति देना होगा।
5. आपूर्तिकर्त्ता को संबंधित पुस्तकों के प्रकाशक के द्वारा पुस्तकों की आपूर्ति का प्राधिकार पत्र जमा करना होगा।
6. भारत सरकार द्वारा प्राप्त ISBN/ISO प्रमाण–पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. अनुशंसित पुस्तकों की सूची के अनुसार नमूने के लिए एक–एक प्रति पुस्तक जमा करना होगा।

<u>वित्तीय निविदा की शर्त्तें :–</u>

1. वित्तीय निविदा के लिफाफे में निविदादाता आपूर्ति की जानेवाली पुस्तक का दर एवं उस पर छूट की दर प्रतिशत में अंकित करेंगे, जो निम्न प्रकार के प्रपत्र में होगा :–

क्र०सं०	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	पुस्तक का मूल्य	छूट की दर प्रतिशत में	Economic/Library Edition का दर
1	2	3	4	5	6

<u>अन्य शर्त्तें :–</u>

1. जिनकी निविदा स्वीकृत की जाएगी उन्हें आपूर्ति आदेश मिलने पर 60 दिनों के अन्दर पूर्ण सेट सहित पुस्तक आपूर्ति संबंधित विद्यालय/संस्थानों में पहुँचाना होगा। आपूर्तिकर्त्ता को अलग से परिवहन एवं मजदूरी की राशि देय नही होगी। साथ ही ट्रासपोर्टेशन में किसी भी प्रकार के नुकसान एवं क्षतिपूर्ति की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्त्ता की होगी।
2. आपूर्ति किये जाने वाले पुस्तक की राशि का भुगतान पुस्तकों की आपूर्ति के पश्चात् ही किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम देय नही होगा।
3. किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
4. किसी भी तरह का विवाद होने पर क्रय समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।
5. पुस्तकों की सूची की जानकारी के लिए जिला के वेबसाईट www.chaibasa.nic.in देखा जा सकता है।
6.

ह०/-
उप विकास आयुक्त
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक :– **<u>417</u>**/वि०, दिनांक :– **<u>10/04/2021</u>**

प्रतिलिपि :– जिला क्रय समिति के सभी सदस्यों.. को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि जिला के वेबसाईट पर उक्त निविदा को अविलम्ब अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

10/4

उप विकास आयुक्त
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।